आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

प्रदेश में 11वीं पंचर्षीय योजनान्तर्गत राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं के तहत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का क्रियान्वयन एमपी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन व इस से संबंद्ध 5 क्षेत्रीय दुग्ध संघ द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब किसानों एवं निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सामान्य वर्ग की निर्धन महिलाओं को दो गाय अनुदान एवं ऋण पर प्रदाय करना।
पात्रता	o 10 महिलाओं के समूह को इस योजना का लाभ दिया जाएगा । o समूह के प्रत्येक महिला के परिवार की समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रू. 90,000/– प्रतिवर्ष से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। o समूह के प्रत्येक महिला के परिवार के पास कम से कम एक एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ भूमि होना चाहिए।
हितग्राही	सभी वर्ग की महिला पशुपालक
अनुदान	योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू. 10,000/– दिया जाएगा ।
ऋण राशि	बैंक अथवा दुग्ध संघ द्वारा दो गायों के लिये अधिकतम रू. 25,000/– ऋण दिया जाएगा।
बाजार	ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विक्रय हेतु ऐसे ग्रामों का चयन किया जाएगा जो दुग्ध संघों के दुग्ध मार्ग पर स्थित हों ।
क्रियान्वयन क्षेत्र	संपूर्ण मध्यप्रदेश

वित्तीय परिदृश्य

योजनांतर्गत अनुदान	रू. 10,000
राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण	रू. 25,000
हितग्राही का न्यूनतम अंशदान	रू. 5,000
कुल इकाई लागत (दो गाय) का योग	रू. 40,000

योजनान्तर्गत शासन से अनुदान की राशि रू. 250.00 लाख़ प्राप्त हुई जिसमें से रू. 230.00 लाख तथा राष्ट्रीय महिला कोष से प्राप्त ऋण की राशि रू. 500 लाख़, पशु

क्रय करने हेतु दुग्ध संघ को उपलब्ध कराई गई । दुग्ध संघवार राशि का विवरण निम्नानुसार है–

(रू. लाख में)

क्र.	दुग्ध संघ	उपलब्ध कराई गई राशि				व्यय की गई राशि	शेष राशि
		वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11	कुल योग		
1	भोपाल	20.00	30.00	0.00	50.00	48.80	1.20
2	इंदौर	20.00	52.40	15.00	87.40	70.40	17.00
3	उज्जैन	20.00	30.00	15.00	65.00	50.00	15.00
4	ग्वालियर	7.60	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00
5	जबलपुर	20.00	0..00	0.00	20.00	14.40	5.60
	योग	100.00	100.00	30.00	230.00	191.20	38.80